CHAUDHARY
Boys Hostel

Terms & Condition

---

1 चौधरी बॉयज होस्टल मे कुछ कमरे है जो कि कॉलेज के छात्रों को रहने के लिए कुछ सुविधाओं के साथ दिए जायेंगे और जिसके लिए सभी छात्र उचित किराया देगें ।

2 सभी छात्र फार्म भरते समय अपनी दो फोटो, अपने अभिभावकों की फोटो, पहचान पत्र या डाईविंग लाईसेंस या वोटर कार्ड की फोटोकॉपी जमा करायें ।

3 परिसर में कोई भी छात्र किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थो जैसे शराब, बियर, तम्बाकु, सिगरेट आदि का सेवन करते पाया जाता है तो उसे उसी समय अभिभावक को सूचना देकर परिसर से निष्काशित कर दिया जायगा व जमा रुम का किराया वापस नही होगा ।

4 रुम से बाहर जाते समय पंखा व लाईटें बंद कर दें यदि कोई भी उपकरण चालू पाया जाता है तो 50 रु0 प्रत्येक उपकरण प्रति दिन के हिसाब चार्ज किया जाऐगा ।

5 सभी छात्रों को रात्रि में 9.30 बजे तक हर हाल में परिसर में होना आवश्यक है, किसी भी परिस्थिति में रात्रि में निर्धारित समय के बाद परिसर का गेट नही खोला जायेगा, और किसी कारणवश कोई छात्र लेट आता है तो उसे लिखित में प्रार्थना पत्र जमा करना होगा ।

6 परिसर के अन्दर या बाहर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए जैसे की लड़ाई, तबियत खराब होना, एक्सीडेंट होना, आदि के लिए केयरटेकर या परिसर संचालक जिम्मेदार नही होगें ।

7 परिसर में किसी भी प्रकार के बिजली से चलने वाले उपकरणों जैसेः प्रेस, हीटर, पानी की रॉड आदि को चलाने की अनुमति नही है । ऐसा करने पर 500/- रुपये जुर्माना व उपकरण जब्त कर लिया जायेगा ।

8 परिसर में किसी भी बाहर के आदमी, छात्र दोस्त व रिस्तेदार आदि का अन्दर आना व कमरे में जाना व रुकना सख्त मना है, किसी खास परिस्थिति में छात्र के पिता को अनुमति लेने के बाद 200 रुपये प्रतिदिन अदायगी के उपरान्त ही ठहराया जायेगा और दो दिन से ज्यादा नही ठहराया जायेगा ।

CHAUDHARY
Boys Hostel

Terms & Condition

9 रूम में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान होता है जैसेः शीशा टूटना, लाईट टूटना, या जिस फ्लोर पर जो नुकसान होगा तो उस फ्लोर पर रहने वाले छात्रों से वसूल किया जायेगा।

10 लैपटोप के लिए 100 रु0 कम्प्यूटर के लिए 150 रु0 हर महीने अतिरिक्त बिल देना होगा ।

11 सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा 15 **नवम्बर से** 15 **फरवरी** तक दी जायेगी ।

12 लाईट जाने पर इन्वर्टर या जनरेटर के द्वारा बिजली उपलब्ध करायी जायेगी।

13 यदि किसी छात्र को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह संचालक, केयरटेकर को सिर्फ लिखित में सूचित करने पर ही उस समस्या का समाधान किया जायेगा ।

14 किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसेः बारिश, भूकम्प, आग आदि के लिए परिसर संचालक व केयरटेकर उत्तरदायी नही होगा ।

15 छात्रों से जो रूम का किराया लिया जायेगा वह दस माह तक का होगा । परिसर में रहने वाले छात्र को किसी भी परिस्थिति में किराये की जमा रकम वापस नही की जायेगी ।

16 कमरे में रखे हुए सामान व अन्य वस्तु की जिम्मेदारी स्वयं उसमें रहने वाले छात्रों की होगी । चोरी या गुम हो जाने पर केयरटेकर या संचालक की जिम्मेदारी नही होगी ।

17 परिसर के कमरों के किसी भी प्रकार के उपकरण या फर्नीचर से कोई भी तोड़फोड़ की जाती है तो उस रूम के छात्रो से 1000/– रु जुर्माना वसूल किया जायेगा ।

18 परिसर में कोई भी छात्र किसी भी वजह से कोई गलत कदम उठाता है या अपने आप को नुकसान पहुंचाता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा, संचालक या केयरटेकर उत्तरदायी नहीं होगा । इसकी सूचना उसके अभिभावक को दी जायेगी ।

19 छात्रों को अपने कमरे की सफाई स्वयं करनी होगी, अगर वह जमादार (सफाई कर्मचारी) से सफाई कराता है तो सामान व अन्य वस्तु की जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की होगी ।

CHAUDHARY
Boys Hostel

Terms & Condition

20 परिसर में केयरटेकर व संचालक कभी भी किसी भी कमरे में चैकिंग कर सकते है । इसमें छात्र का सहयोग आपेक्षित होगा।

21 अगर कोई छात्र परिसर में किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है या किसी और होस्टल में रहने वाले छात्र / छात्रो को भड़काता है तो उसकी जमाराशी जब्त कर ली जायेगी व उसे परिसर से निष्कासित कर दिया जायेगा ।

22 सभी छात्रो से निवेदन है कि वह पीने का पानी अपने कमरे में स्टोर करके रखे ।

23 हाजिरी के समय पर कोई छात्र नही आता है तो तुरन्त उसके अभिभावकों को सूचित कर दिया जायेगा ।

24 टी वी चलने का समय केयरटेकर या संचालक के द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

25 किसी भी परिस्थिति में केयरटेकर व संचालक का निर्णय मान्य होगा।

26 जनरेटर की सुविधा को कोई इस्तेमाल करे या न करे उसे Contribution करना होगा । किसी भी तकनीकी समस्या जैसेः जनरेटर खराब होना उसके निदान में **2 दिन** का समय लग सकता है । छात्रो से निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में संयम बनाये रखें ।

27 रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है यदि कोई छात्र रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके अभिभावक को सूचना देकर उसी समय परिसर से निष्कासित कर दिया जायेगा व उसके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही की जायेगी ।

28 अनुशासनहीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नही की जायेगी ।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक **हस्ताक्षर संचालक**